कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1121 /12–1 देहरादून : :दिनांकः 09 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु न्याय विभाग प्रत्यावर्तन।
(Online No. FP/UK/OTHERS/150277/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/09/19/2022/एफ0सी0/1508 दिनांक 26.03.2025।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 877/12–1(2) दिनांक 29.09.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.	शर्तो/प्रतिबंधों का विवरण	अनुपालन आख्या
(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है।		
1.	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि में वन विभाग द्वारा 2156 पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का किया जाएगा। एकल प्रजाति के वृक्षों का पौधारोपण नहीं किया जाएगा। प्रस्तावक विभाग द्वारा आवशयक धनराषि रू 10,64,353.00 मात्र की धनराषि उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में चालना के माध्यम से जमा करा दी गयी है।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एफ0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से आवश्यक विवरणों के साथ प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एफ0एल0 फाईल व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को उनके स्तर से कार्य करने की अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
2.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	

(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. ;च्ज 2द्ध दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन0पी0वी0 की शुद्ध धनराशि रू 12,66,993.00 कैम्पा कोष में द्वारा जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावक विभाग में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एन0पी0वी0 के वर्तमान शुद्ध मूल्य में कोई बढोतरी या अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 41 वृक्षों (जिसमें 3 चसपदहे है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि में प्रभावित 41 वृक्षों के सापेक्ष 41 वृक्षों का पातन वन विभाग के निगरानी में किया जाएगा। वृक्षो के पातन की धनराशि वन विभाग के खाते में जमा की जायेगी।
4–	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सी.डब्लू.पी. (सी.) संख्या 1164/2023 दिनांक 03.02.2025 का पालन किया जाएगा।
5–	The User Agency shall submit n undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with State Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the User Agncy.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनावासीय भवनों का निर्माण स्वीकृत स्थल में ही किया जाएगा। पौधों का पौधारोपण वन विभाग के परामर्श से किया जाएगा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनावासीय भवनों के निर्माण से उत्सर्जित मलुवा को मक डिस्पोजल क्षेत्रों में ही डाला जायेगा। वन क्षेत्रों में मलुवा इधर उधर नहीं फेका जाएगा। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलक्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7.	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, यदि लागू हो।	नोडल अधिकारी के पत्रांक 10542–12–1 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अधिसूचना जारी होने पर पृथक से अधिसूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न)
8.	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांनरित गैर–वन/सिविल योयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। उपरोक्त बिन्दु के अनुसार शासन स्तर से अधिसूचना

	वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तह आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी, यदि लागू हो।	जारी की जानी है।
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।
10.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है।
11.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।
(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपनें के पश्चात् क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी, जिसके लिए लो0नि0वि0 विभाग सहमत है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के सीमांकन प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते है।	लो0नि0वि0 द्वारा यदि उच्च स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की मजदूरी दरों में अथवा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं सर्वेक्षण व सीमांकन पीलरों की दरों में वृद्धि होती है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उक्त बढी धनराशि को वन विभाग के खाते में जमा की जाएगी।
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	लागू नहीं।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू को, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मुख्य वनजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की शर्तो का पालन किया जायेगा। उक्त योजना में लागू नहीं है।
6.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agecny which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the intrventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling ot 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	प्रस्ताव में 2 प्रतिशत की धनराशि का डब्ल्यू0एल0एम0पी0 (रू0 7,00,000/–) तथा 0.5 प्रतिशत की धनराशि (1,75,000/–) का प्लान संलग्न किया गया है, जिसकी उपरोक्तानुसार कुल रू0 8,75,000.00 की धनराशि प्रयोक्ता द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है।
7.	नवनीतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिवक्व वृक्षारोपण	प्रस्तावक विभाग द्वारा नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 है और परिवक्व वृक्षारोपण

	(mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	(mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना है जिसका प्रस्तावक विभाग द्वारा पालन किया जाएगा।
8.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्वीकृत स्थल को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के किसी भी परिस्थिति में नही बदला जाएगा।
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है।
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदलेगा।
11.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निमम अथवा, वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मजूदरों को वन विभाग व वन विकास निगम से ईधन नहीं दिया जायेगा वैकल्पिक ईधन अन्य स्रोत से दिया जायेगा।
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा योजना के निर्माण सामग्री ले जाने के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
14.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को योजना की लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। उन पर Forward/Backward bearings अंकित किया गया है।
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निदिर्ष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
16.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उत्सर्जित मलुवे का मड डिस्पोजल निर्माणाधीन स्थल पर ही समायोजित किया जाएगा। आवश्यक रूप से निर्माणाधीन स्थल से नीचे नहीं गिराया जाएगा।

19.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	परियोजना में अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेछ/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश प्रस्ताव में लागू नहीं है।
20.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियामें, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
21.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावक विभाग द्वारा किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया जायेगा। शर्त का उलंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग पर कार्यवाही की सकती है।

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रकरण को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–1121 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड, शासन।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
5. जिला न्यायाधीश, जनपद–अल्मोडा।
6. सिविल जज (जू0डि0), रानीखेत।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रति देखान्त (311)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 877 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 29/09/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0– 150277 / 2022)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या– 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 19 / 2022 / एफ0सी0 / दिनांक– 26.03.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक– 1363 / 12–1(2) दिनांक–18.09.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-- तीन प्रतियों में।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भू संरक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
प्राप्ति सं. 2020
पत्रावली 12-1
दि. 6-10-25

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ.का.कौर

प्र.व.सं/नो०
6-10-25

अभिहस्तां 18 SEP 2025

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1363 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 18/09/ 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी. /06/19/2022/ एफ.सी. दिनांक 26.03.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है।		
1.	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि में वन विभाग द्वारा 2156 पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का किया जाएगा। एकल प्रजाति के वृक्षों का पौधारोपण नहीं किया जाएगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एफ0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के0एफ0एल0 फाईल व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने स्तर से कार्य करने की अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड कर भारत सरकार को प्रषित किया जाएगा।
2.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए

11.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी, जिसके लिए लो0नि0वि0 विभाग सहमत है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के सीमांकन प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते है।	लो0नि0वि0 द्वारा यदि उच्च स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की मजदूरी दरों में अथवा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं सर्वेक्षण व सीमांकन पीलरों की दरों में वृद्धि होती है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उक्त बढी धनराशि को वन विभाग के खाते में जमा की जाएगी।
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	लागू नहीं।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू को, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य वनजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की शर्तो का पालन किया जायेगा। उक्त योजना में लागू नहीं है।
6.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agecny which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the intrventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling ot 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	वन विभाग, लोक निर्माण विभाग की लागत पर वन्यजीव समन/प्रबंधन योजना (WLMP) या मृदा एवं नयी संरक्षण योजना (एस0एम0सी0पी0) तैयार करेगा, जो साइट पर किये जाने वाले आवश्यक हस्तक्षेपों की वास्तविक लागत के आधार पर विशिष्टि क्षेत्र आवश्यकताओं पर आधार पर 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) वित्तीय परिव्यय पर आधारित होगी, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग को डिमाण्ड नोट प्रेषित कर दिया गया है।
7.	नवनीतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिवक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 है और परिवक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना है जिसका लो0नि0वि0 द्वारा पालन किया जाएगा।
8.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्वीकृत स्थल को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के किसी भी परिस्थिति में नही बदला जाएगा।
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है।
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदलेगा।
11.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

	प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 की शुद्ध धनराशि ₹ 1266993.00 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एन0पी0वी0 के वर्तमान शुद्ध मूल्य में कोई बढोतरी या अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 41 वृक्षों (जिसमें 3 चसपदहे है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि में प्रभावित 41 वृक्षों के सापेक्ष 41 वृक्षों का पातन वन विभाग के निगरानी में किया जाएगा। वृक्षो के पातन की धनराशि वन विभाग के खाते में जमा की जायेगी।
4–	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सी.डब्लू.पी. (सी.) संख्या 1164/2023 दिनांक 03.02. 2025 का पालन किया जाएगा।
5–	The User Agency shall submit n undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with State Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the User Agncy.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों का निर्माण स्वीकृत स्थल में ही किया जाएगा। पौधों का पौधारोपण वन विभाग के परामर्श से किया जाएगा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest area.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों के निर्माण से उत्सर्जित मलुवा को मक डिस्पोजल क्षेत्रों में ही डाला जायेगा। वन क्षेत्रों में मलुवा इधर उधर नहीं फेका जाएगा। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलक्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7.	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, यदि लागू हो।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के नाम हस्तान्तरित वन नामान्तरित कर दिया गया है।
8.	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांनरित गैर–वन/सिविल योयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तह आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी, यदि लागू हो।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित गैर वन/सिविल सोयम भूमि को वन अधिनियम 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।
10.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है।

12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मजूदरों को वन विभाग व वन विकास निगम से ईधन नहीं दिया जायेगा वैकल्पिक ईधन अन्य स्रोत से दिया जायेगा।
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना के निर्माण सामग्री ले जाने के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
14.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को योजना की लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। उन पर Forward/Backward bearings अंकित किया गया है।
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निदिर्ष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
16.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	लोक निर्माण विभाग को पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्सर्जित मलुवे का मड डिस्पोजल निर्माणाधीन स्थल पर ही समायोजित किया जाएगा। आवश्यक रूप से निर्माणाधीन स्थल से नीचे नहीं गिराया जाएगा।
19.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	परियोजना में अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेछ/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश प्रस्ताव में लागू नहीं है।
20.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियामें, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। लोक निर्माण विभाग द्वारा से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का पालन करेगा। इस येाजना में लागू नही।
21.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी

		भी शर्त का उलंघन नहीं किया जायेगा। शर्त का उलंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत विभाग पर कार्यवाही की सकती है।

<u>संलग्न—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1804 / 36सी दिनांक रानीखेत 29/08 ,2025

4/9/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/19/2022/एफ.सी. दिनांक 26.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है।		
1-	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि में वन विभाग द्वारा 2156 पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का किया जाएगा। एकल प्रजाति के वृक्षों का पौधारोपण नहीं किया जाएगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एफ0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के0एफ0एल0 फाईल व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने स्तर से कार्य करने की अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड कर भारत सरकार को प्रषित किया जाएगा।
2-	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनाक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन0पी0वी0 की शुद्ध धनराशि ₹ 1266993.00 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एन0पी0वी0 के वर्तमान शुद्ध मूल्य में कोई बढोतरी या अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 41 वृक्षों (जिसमें 3 saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि में प्रभावित 41 वृक्षों के सापेक्ष 41 वृक्षों का पातन वन विभाग के निगरानी में किया जाएगा। वृक्षो के पातन की धनराशि वन विभाग के खाते में जमा की जायेगी।
4–	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सी.डब्लू.पी. (सी.) संख्या 1164/2023 दिनांक 03.02.2025 का पालन किया जाएगा।
5–	The User Agency shall submit n undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with State Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the User Agncy.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों का निर्माण स्वीकृत स्थल में ही किया जाएगा। पौधों का पौधारोपण वन विभाग के परामर्श से किया जाएगा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6-	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest area.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों के निर्माण से उत्सर्जित मलुवा को मक डिस्पोजल क्षेत्रों में ही डाला जायेगा। वन क्षेत्रों में मलुवा इधर उधर नहीं फेका जाएगा। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलक्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7-	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, यदि लागू हो।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के नाम हस्तान्तरित वन नामान्तरित कर दिया गया है।
8-	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांनरित गैर–वन/सिविल योयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तह आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी, यदि लागू हो।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित गैर वन/सिविल सोयम भूमि को वन अधिनियम 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
9-	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।
10-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है।
11-	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

क्रमशः पेज–3 पर

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1058 /12-1 :देहरादून:दिनांक 03 ~~नवम्बर,~~ 12 2025

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online Proposal No. FP/UK/OTHERS /150277/2022)

संदर्भः–प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश ख–1033/32–1 दिनांक 08–05–2025 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश पत्र दिनांक 08–05–2025 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1374/12–1(2) दिनांक 28.11.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि **जनपद–अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु** वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत की गयी है। **(संलग्नक–01)** प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 1.96 है0 भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किये जाने की अनिवार्यता है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 1.96 है0 भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने के दृष्टिगत वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से प्राप्त अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी के आलेख मय संलग्नकों के इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इसमें तद्नुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या 1058 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड, शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. जिला न्यायाधीश, जनपद–अल्मोड़ा।
5. सिविल जज (जू0डि0), रानीखेत।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

एफ-1
(3 प्रपत्र)

आदेश

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय; क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/19/2022/एफ0सी0 दिनांक 26.03.2025 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति के शर्त 1 (क) में उल्लेख किया गया है, कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियॉ को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

उक्त के कम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 2365/36सी0 दिनांक 11.10.2024 एवं पत्र संख्या 812/36सी0 दिनांक 27.03.2025 से किये गये अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 614(मु0)/भवन निर्माण (जू0डि0)/2024–25 दिनांक 28 अप्रैल, 2025 से प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में खतौनी, खसरा, नक्शा अभिलेखों सहित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत के भवनों निर्माण हेतु हेतु 0.98 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम डौरब के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3)क पंचायती जंगल के खेत संख्या 3185 कुल रकवा 21.00 है0 मध्ये 1.96 है0 (दुगने क्षेत्रफल में) सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/19/2022 /एफ0सी0 दिनांक 26.03.2025 से प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति के आलोक में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा किये गये अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या के आधार पर राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/ XVIII (II)/2012-18(120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत के भवनों निर्माण हेतु हेतु 0.98 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डौरब के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3)क पंचायती जंगल के खेत संख्या 3185 कुल रकवा 21.00 है0 मध्ये **1.96 है0** सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार रानीखेत, उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–6722 /ग्यारह–20 /2024–25 दिनांक:29 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि: निम्नाकिंतों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जनपद न्यायाधीश महोदय अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
4– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
5– तहसीलदार रानीखेत।
6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

[illegible] गैर जमींदारी विनाश खतौनी
ग्राम - डौरब
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र - बमस्यूं, तहसील - रानीखेत (अल्मोड़ा)

श्रेणी - 9(3) क पंचायती जंगल

खातेदार पिता/पति का नाम	भौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	रकबा	लगान	
02	03	04	05	06	07 से 13 तक
वन पंचायत जंगल	—	3172 3183 3185 3126	0.700 0.088 21.000 0.768	—	कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आ० सं० 6722/ग्यारह - 20/2024-25 दिनांक 29 जुलाई 2025 के अनुपालन में राजस्व अनुभाग - 2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 2173/xviii(ii)/2012-18(120)2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वृक्षारोपण हेतु ग्राम डौरब के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3) क पंचायती जंगल के खेत संख्या 1385 कुल रकबा 21.00 है० मध्ये 1.96 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित नामान्तरण की जाती है।
	योग	04	22.556	—	

महोदय, गैर जमी विनाश खतौनी नकल तैयार की

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बमस्यूं
तहसील रानीखेत
जिला - अल्मोड़ा

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग ,अल्मोड़ा

Phone No. 05966 299100 Office Email-ranikhetforestrange@gmail.com

पत्रांक 767 /12-1 रानीखेत वन क्षेत्र दिनांक 21|11| 2025

कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनो के निर्माण के सापेक्ष 1.96 है० ग्राम डोरब वन पंचायत भूमि का वन विभाग के कर्मचारियो द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा पिलर बंदी कर दी गयी है तथा उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र।

जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रानीखेत अल्मोड़ा ...

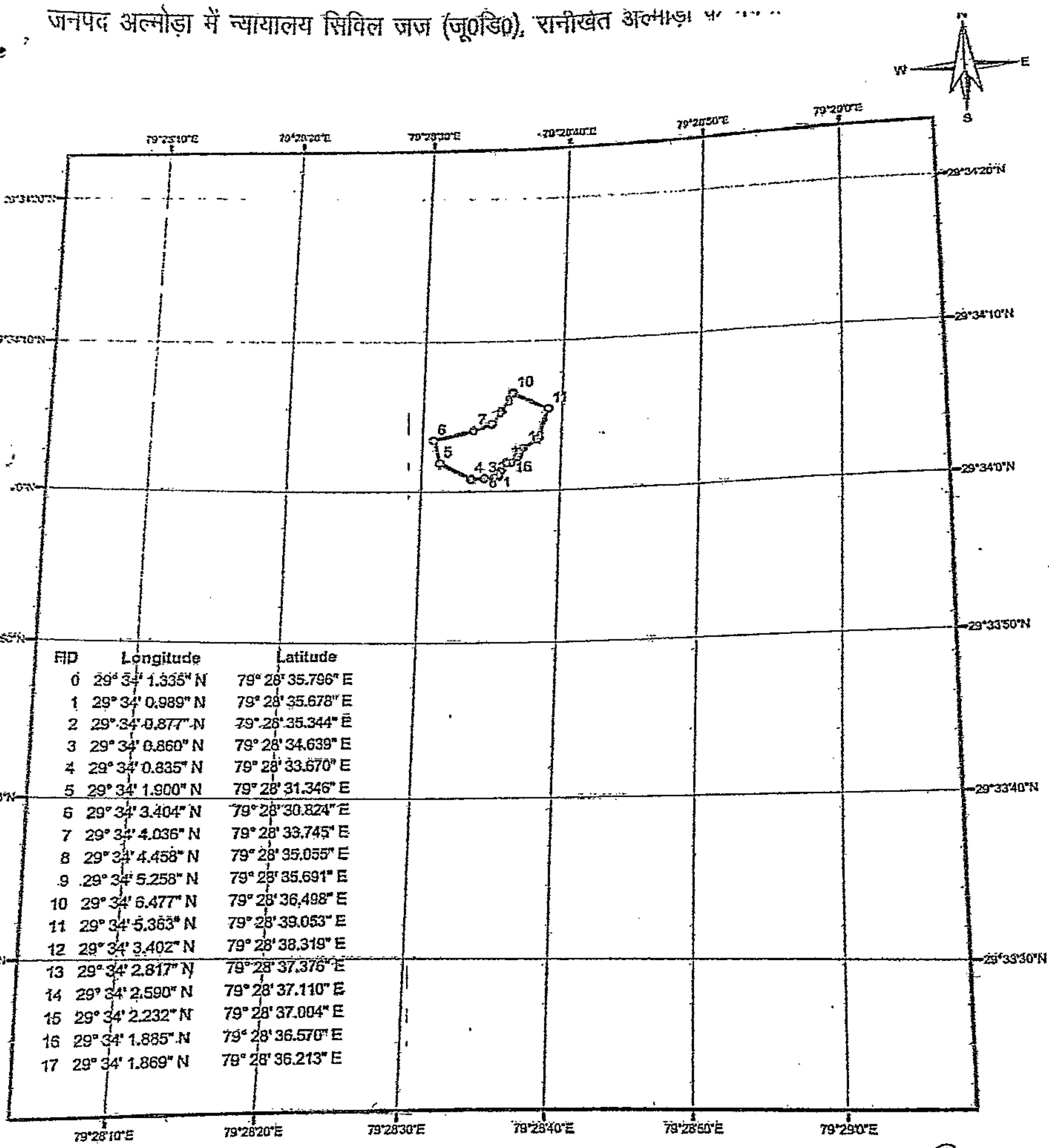

FID	Longitude	Latitude
0	29° 34' 1.335" N	79° 28' 35.796" E
1	29° 34' 0.989" N	79° 28' 35.678" E
2	29° 34' 0.877" N	79° 28' 35.344" E
3	29° 34' 0.860" N	79° 28' 34.639" E
4	29° 34' 0.835" N	79° 28' 33.670" E
5	29° 34' 1.900" N	79° 28' 31.346" E
6	29° 34' 3.404" N	79° 28' 30.824" E
7	29° 34' 4.036" N	79° 28' 33.745" E
8	29° 34' 4.458" N	79° 28' 35.055" E
9	29° 34' 5.258" N	79° 28' 35.691" E
10	29° 34' 6.477" N	79° 28' 36.498" E
11	29° 34' 5.363" N	79° 28' 39.053" E
12	29° 34' 3.402" N	79° 28' 38.319" E
13	29° 34' 2.817" N	79° 28' 37.376" E
14	29° 34' 2.590" N	79° 28' 37.110" E
15	29° 34' 2.232" N	79° 28' 37.004" E
16	29° 34' 1.885" N	79° 28' 36.570" E
17	29° 34' 1.869" N	79° 28' 36.213" E

Legend :-

o GPS

CA Area 1.960 Ha Village Douray

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

अमीन
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रानीखेत

AAE

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

अनुभाग अधिकारी
मैन्टाल अनुभाग
रानीखेत वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/OTHER/150277/2022**)।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की धनराशि ₹ 1064353.00 जमा कर दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अमीन
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

संलग्नक 02

पृ0-2

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others/150277/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/150277/2021) Construction of judiciary building in Ranikhet	OTHERS1502772021487	1991502774487	26 Mar 2025	CA: 1064353/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1266993/- Other Charges : 0/- Other Charges10 : 0/- Other Charges20 : 0/- Other Charges30 : 0/- Total : 2331346/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 12 Jun 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Jun 2025 Transaction Date : 23 Jun 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/100620251326078604_FPUKOthers1502772021_User_Fund_Demanded_66L72.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1502772021487)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

संलग्नक (01 (प02)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/OTHER/150277/2022**)।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 1064353 तथा एन0पी0वी0 हेतु ₹ 1266993.00 कुल ₹ 2331346.00 जमा दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

अमीन
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

स०-3

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/OTHER/150277/2022**)।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अमीन
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

संलग्नक-04

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1364 /12-1(2)अल्मोड़ा दिनांक 18/09/2025

सेवा में,

सिविल जज,
जू0डि0,रानीखेत।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022) हेतु डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – भारत सरकार का पत्र सं0–8बी0/यू0सी0पी/06/19/2022/एफ0सी0 दिनांक–26.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एस0एम0सी0 व वाईल्ड लाईफ मैनेजमेण्ट प्लान की धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नवत प्रेषित है।

1.सैद्धान्तिक स्वीकृति के भाग–2 के शर्त संख्या 6 के अनुपालन में वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंण्ट हेतु देय धनराशि	=	7,00,000.00
2.सैद्धान्तिक स्वीकृति के भाग–2 के शर्त संख्या 6 के अनुपालन में एस0एम0सी0 प्लान हेतु देय धनराशि	=	1,75,000.00
कुल देय धनराशि	=	8,75,000.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रूपये में) **8,75,000.00 (आठ लाख पिचहत्तर हजार रूपये)** मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त चालान की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 1364 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1969/3.6 मि

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

सं- 5

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022) |

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण से उत्सर्जित मलुवा का समायोजन निर्माण स्थल को समतलीकरण में समायोजित किया जाएगा। मलुवा वन क्षेत्रों में इधर उधर नहीं फेका जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

अमीन
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Wildlife Management Plan

RANIKHET RANGE,

ALMORA FOREST DIVISION

ALMORA

Scanned with OKEN Scanner

O

Introduction

Project title: Construction of ' Civil judge (junior division) building, Ranikhet, Almora

Proposal reference: FP/UK/OTHERS/150277/2021

Total forest land required: 0.98 hectares

The objective is to mitigate the environmental impact on wildlife due to the diversion of 0.98 ha forest land for the construction project by implementing sustainable and eco-sensitive measures.

As per norms, 2% of the project cost will be allocated for wildlife management, which amounts for 7.0 lakh rupees. The proposal reflects a commitment to balancing infrastructure development with environmental conservation in the region.

The special objectives of management are-

i. Protection and development of wildlife habitats to maintain the existing fauna.

ii. To pay special attention towards conservation and improvement of endangered species.

iii. To reduce the incidence of human wildlife conflict.

iv. To give special emphasis on education and awareness among masses and seek their active participation in conservation of wildlife.

v. Installation of wildlife caution signage and awareness material

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Justification

The project prioritizes measures to protect local wildlife like Leopard, wild boar, fox , species etc. This plan aims to strengthen wildlife conservation efforts through proactive measures such as promoting community awareness, strengthening monitoring systems etc. The total cost of wildlife management plan is 7.00 lakh which is around 2 percent of total project cost.

Wildlife management plan :- Total outlay is 7.00 lakh (details attached). This is proposed as per GOI guidelines 2 percent lum-sum of total project cost.

These interventions will be carried out in Chilliyanaula compartment 7.

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Wildlife management plan

S. No.	Component	Unit	Physical			Total	Financial			Total amount (in lakhs)
			1st year	2nd year	3rd year	(Phy)	1st year	2nd year	3rd year	
1	Habitat Improvement									
	(i)Weed Eradication (Work will be done in 3 year)	Ha.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii)Augmenting water regime by creating water structure	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii)Grassland & Habitat management	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iv)Silviculture and tending operation supported with bamboo plantation.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I year	Ha.	-	-	-	-	-	-	-	-
	II year	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III year	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(v) Plantation of Fruit Spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I year	Ha.	-	-	-	-	-	-	-	-
	II year	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III year	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Quick Response team (QRT) (2 team 8 members per team 8@8000X12=768000 per year)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Field Biologist for placing camera trap and extracting data on daily on daily basis for Wildlife Monitoring (1@35000X12Month=420000 per year)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Vehicles &POL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(i) Patrolling Vehicle	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) Customized rescue vehicle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) Bullet motor cycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iv) POL	LS	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

5	Equipment									
	(i) Camera traps	No.	05	03	-	08	0.70	0.42	-	1.12
	(ii) Battery for Camera traps	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) GPS	No.	05	05	05	15	1.10	1.10	1.10	3.3
	(iv) Drones	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(v) Binoculars	No.	02	02	02	06	0.09	0.09	0.09	0.27
	(vi) Tranquilizing gun	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(vii) Medicines & surgical equipment	LS	-	-	-	-	-	-	-	-
	(viii) Data analysis (Computers & printers, UPS)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ix) Integrated rescue Kit	No.	02	02	02	06	0.38	0.38	0.38	1.14
	(x) Camera	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(xi) Range finder	No.	02	02	-	04	0.12	0.12	-	0.24
	(xii) TV & projector screen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(xiii) other rescue related expenditures	LS	-	-	-	-	-	-	-	-
	(xiv) Fox light/ LED light (1 Km range)	No.	06	06	06	18	0.12	0.12	0.12	0.36
6	Cages		-	-	-	-	-	-	-	-
	(i) Other animal cages	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) Leopard Cages	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(A) Transit Veterinary Facility with Equipment	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(B) Wild animal treatment/autopsy related.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Data Analyst for compiling data & Generating reports on daily basis. (1 Analyst @Rs. 50000 per Months X12=600000 per year)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other human resources		-	-	-	-	-	-	-	-
	(i) Drivers (1 Driver@20000 per monthX12=240000 per year/ driver)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

10	Signages	No.	04	04	-	08	0.22	0.22	0	0.44
11	Fire Management Equipments (i) procurement of fire fighting equipments	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Plastic Waste management related expenditure in adjoining RF area. Vehicles and man power will be outsourced/Subleasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(i) Manpower for collection of plastic waste (2 man@10000X12months=Rs.2400 00 per year)	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) Vehicles for collection and disposal of waste up to dumping zone/recycling plant	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Expenditure pertaining to long & short distance petrolling, including rationing tent etc.	No.	-	-	-	-	-	-	-	-
14	(i) maintenance of Inspection/ patrolling bridle path	Km.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) Maintenance of Forest Roads	Km.								
	(iii) Solar Fencing work to mitigate human wildlife conflicts	Km.	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:-									6.87
	Contingency 2%									0.137
	GRANT TOTAL:-									7.007
	To Say									7.00

Checked For ₹ 7.00 Lacs.
Draughtsman
Almora Forest Division
ALMORA

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

Soil Moisture Conservation Plan

RANIKHET RANGE,

ALMORA FOREST DIVISION

ALMORA

Scanned with OKEN Scanner

Introduction

Project title: Construction of ' Civil judge (junior division) building, Ranikhet, Almora

Proposal reference: FP/UK/OTHERS/150277/2021

Total forest land required: 0.98 hectares

Name of site – Chiniyanaula Comp 07

The objective of this plan is to preserve and enhance the moisture retention capacity of the soil through engineering and biological interventions. Since construction of the building entails removal of natural vegetation, which can lead to increased surface runoff, soil erosion, and depletion of groundwater recharge potential. To address these environmental concerns and ensure sustainability of the landscape post-development, a soil moisture conservation plan is prepared.

As per norms, 0.5% of the project cost will be allocated for soil moisture conservation plan which amounts for 1.75 lakh rupees.

The special objectives of management are-

i. Enhancement of ground water recharge
ii. Reduction of surface runoff
iii. Prevention of soil erosion
iv. Improvement of vegetation cover
v. Restoration of ecological balance

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Justification

Maintaining adequate soil moisture is crucial for sustaining soil health and regulating the local water cycle. To enhance moisture retention and simultaneously control soil erosion, the project proposes the implementation of check dams, contour trenches, and gully plugs. The total amount for SMC plan is 1.75 lakh which is 0.5 percent of total project cost.

These conservation measures will not only support the ecological integrity of the area but also contribute to the sustainable development of the project infrastructure while protecting the rich biodiversity of the forest.

Soil Moisture Conservation Plan :- Total outlay is 1.75 lakh (details attached). This is proposed as per GOI guidelines 0.50 percent of total project cost.

These interventions will be carried out in Chilliyanaula compartment 7.

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

SOIL & MOISTURE CONSERVATION PLAN

S. No.	Component	Unit	Physical			Total (Phy)	Financial			Total amount (In lakhs)
			1st year	2nd year	3rd year		1st year	2nd year	3rd year	
1	Gully Plugging/ LCD	Nos.	20	20	10	40	0.26	0.26	0.13	0.65
2	Geo Synthetic/ Metal Crate Wire Check Dams	Nos.	02	01	0	03	0.60	0.30	0.00	0.90
3	Contour.trench	r.m.	300	261	0	561	0.105	0.950	0.00	0.20
	TOTAL:-									1.75

कुल रु० 1.75 लाख

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Inclosure

S.No.	Component	Name of the site	GPS	Unit	Physical				Financial(Rs. In lac.)			
					1st year	2nd year	3rd year	Total	1st year	2nd year	3rd year	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gully Plugging/ LCD	Chiliyaanaula compart no. 7	N 29°39'19" E 79°25'2"	Nos.	20	20	10	40	0.26	0.26	0.13	0.65

S.No.	Component	Name of the site	GPS	Unit	Physical				Financial(Rs. In lac.)			
					1st year	2nd year	3rd year	Total	1st year	2nd year	3rd year	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Geo Synthetic/ Metal Crate Wire Check Dams	Chiliyaanaula compart no. 7	N 29°39'19" E 79°25'2"	Nos.	02	01	0	03	0.60	0.30	0.00	0.90

S.No.	Component	Name of the site	GPS	Unit	Physical				Financial(Rs. In lac.)			
					1st year	2nd year	3rd year	Total	1st year	2nd year	3rd year	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Contour trench	Chiliyaanaula compart no. 7	N 29°39'19" E 79°25'2"	r.m.	300	261	0	561	0.105	0.950	0.00	0.20

पत्रांक स०..............................

मानचित्रकार

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग [illegible]

Scanned with OKEN Scanner